विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2023 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद, द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-01 का उत्तर

01(क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि पुरानी पेंशन लागू किये जाने का अधिकार सरकार के पास है?	जी हाँ।
(ख) यदि हाँ, तो क्या पुरानी पेन्शन लागू करायेंगे?	जी नहीं।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों?	• दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त केन्द्र सरकार की सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों को केन्द्र सरकार द्वारा नई पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित किया गया है। • दिनांक 01-04-2005 को अथवा उसके उपरान्त उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं अथवा स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियुक्त कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित हैं। • प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) के अन्तर्गत माह जनवरी, 2023 तक 5.95 लाख सरकारी कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के 3.50 लाख कर्मचारियों का पंजीकरण एन0पी0एस0 में किया जा चुका है। माह जनवरी, 2023 तक सरकारी कर्मचारियों के प्रान(परमानेन्ट रिटायरमेन्ट एकाउन्ट नम्बर) खातों में रू0 28,836 करोड़ की धनराशि तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के प्रान खातों में रू0 14,262 करोड़ की धनराशि अंतरित की जा चुकी है। • राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाये रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारियों अपितु संगठित/ असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों, तथा सामान्य जन के लिए बेहतर राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य के साथ लायी गयी है। उपर्युक्त कारणों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को समाप्त कर पुरानी पेंशन लागू किया जाना सम्भव नहीं है।

सुरेश कुमार खन्ना
वित्त मंत्री।